

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एसीपी/सा.01-01279/जोन-उदयपुर/2024/62

दिनांक:- 13.03.2024

--:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ. 14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों का दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रसाविका, जिन्होंने 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन शृंखला
1.	अनिता चौबीसा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उदयपुर	12.09.2011	12.09.2021 09 वर्षीय	एल-08	एल-10
2.	दूर्गा मीणा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उदयपुर	12.09.2011	12.09.2021 09 वर्षीय	एल-08	एल-10
3.	पुष्पेन्द्र सिंह नर्सिंग ऑफिसर	डुंगरपुर	25.10.2011	25.10.2023 09 वर्षीय	एल-11	एल-12
4.	चन्दा विजयवर्गीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	चित्तौड़गढ़	17.11.1998	17.11.2019 18 वर्षीय	एल-10	एल-11
5.	अनुकम्पा सौलकी नर्सिंग ऑफिसर	बांसवाडा	11.08.2009	11.08.2018 09 वर्षीय	एल-11	एल-12
6.	गंगा कोटडिया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डुंगरपुर	02.03.2009	02.03.2018 09 वर्षीय	एल-08	एल-10

नोट:-

1. क्रम संख्या 03 पर अंकित श्री पुष्पेन्द्र सिंह के 03 संतान होने के कारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 18.12.2020 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.10.2023 से दिया गया है।
2. क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिक चन्दा विजयवर्गी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 01.06.2002 के पश्चात 03 संतान होने के कारण चयनित वेतनमान का लाभ 03 वर्ष पश्चात दिनांक 17.11.2019 से देय है।
3. क्र0सं0 01 एवं 02 पर अंकित क्रमशः अनिता चौबीसा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण 09 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 12.09.2020 के स्थान पर दिनांक 12.09.2021 से दिया गया है तथा श्रीमती दूर्गा मीणा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण एसीपी का लाभ दिनांक 12.09.2021 से दिया गया है।

यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान है तो उक्त आदेश नियमानुसार उन पर लागू नहीं होगा।

RajKaj Ref
5690690

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एसीपी/सा.01-01279/जोन-उदयपुर/2024/62

दिनांक:-13.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ/राजसमंद।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5690690

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2024 02:06:33